पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(बालिका छात्रावास के मेस संचालन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते)

1 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के बालिका छात्रावास में लगभग 150 छात्राओं हेतु भोजन व्यवस्था हेतु **मेस संचालन** के लिये ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

2 ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक है, तथा ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 को सांयः 05.00 बजे तक हैं, । ई–तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 26.03.2020को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक 27.03.2020को दोपहर 02.00 बजे mptender.gov.in से डाउनलोड की जावेगी। प्री–विड मीटिंग दिनांक 11.03.2020 को दोपहर 02.00 वजे आयोजित है, जिसमें समस्त निविदाकारो का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

3. ई–निविदा विड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है, निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य करता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जमा धरोहर राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा अगले निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।

4. इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1000/– का भुगतान कर ई–निविदा प्राप्त कर सकते है जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है ।

5. ई.एम.डी. राशि रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का बैक ड्राफट तथा ई–तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजो की हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को प्रस्तुत करना होगे । ई.एम.डी. राशि रिफन्डेवल होगी जो सफल निविदाकार की अनुबध समाप्ति के पश्चात विना व्याज के वापस कर दी जावेगी

6. निविदाकर्ता फर्म को किचन, स्टोर रूम, डायनिंग हॉल, वास एरिया में लगा फर्नीचर उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। जिसका रू 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र)प्रति माह मेटेनेंस शुल्क प्रदाय करना होगा ।

7 निविदाकार फर्म को कम से कम 100 व्यक्तियों की मेस संचालन का 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

8. निविदाकर्ता संस्था का बार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी की प्रति तकनीक निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

9. GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

10. पैन नंबर की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

11. **खाद्य एवं औषधि प्रशासन म0प्र** फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदिाकर्ता फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य होगा । पंजीयन की प्रति तकनीकी निविदा

के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

12. यह निविदा, केवल दरें निर्धारित करने हेतु जारी की जा रही है। निर्धारित दरों पर भोजन प्रदाय करने एवं उसके एवज में छात्राओ से राशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं भोजन प्रदायकर्ता की रहेंगी।

13. नियमानुसार GST/अन्य समस्त कर जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा तथा GSTअन्य समस्त कर जमा संबंधी दस्तावेज (चालान की प्रति) संस्था कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

14. जिस निविदाकर्ता की निविदा मान्य की जायेगी उसे कार्य – आदेश मिलने पर निर्धारित राशि रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध करना होगा, प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से आदेश प्राप्त होने के उल्लेखित तिथि से भोजन व्यवस्था प्रारंभ करनी होगी।

15. भोजन व्यवस्था हेतु कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समय पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर छात्रावास समिति की अनुशंसा एवं निविदाकर्ता की सहमति के आधार पर कार्य आदेश पूर्व शर्तो के साथ आगामी एक वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा।

16. कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा यदि किसी कार्यरत कर्मचारियों का बदलाव निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

17. निविदाकर्ता द्वारा भोजन व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार बीमा दुर्घटना क्षति पूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

18. भोजन व्यवस्था से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता/सेवा में कमी/निविदा शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से बिना सूचना के अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा।

19. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था संस्था द्वारा निर्धारित स्थल पर ही तैयार कर एवं संस्था की छात्रावास समिति द्वारा निर्धारित संलग्न मीनू प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02 के अनुसार प्रतिदिन पृथक–पृथक नाश्ता व भोजन उपलब्ध कराना होगा, भोजन अथवा नास्ता बाहर से पका हुआ नहीं परोसा जायेगा।

20. भोजन के लिए प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर संलग्न सूची अनुसार (प्रतिष्ठित ब्राण्ड/एगमार्क/आईएसआई) की होना अनिवार्य है जिसका आकस्मिक निरीक्षण संस्था की छात्रावास समिति द्वारा किया जा सकेगा। भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर समिति की अनुशंसा पर तत्काल अनुबंध समाप्त कर नई व्यवस्था की जावेगी।

21. सब्जियाँ ताजी होना चाहिये जिसका निरीक्षण समिति द्वारा किया जावेगा। भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन ताजा तैयार कर प्रदाय करना होगा, बचे हुए नाश्ता भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में आगामी दिवस अथवा लंच का डिनर में उपयोग मान्य नहीं होगा।

22. भोजन व्यवस्था में उपयोग किये जा रहे बर्तन प्लेट चम्मच कटोरी गिलास इत्यादि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी एवं सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। भोजन प्रबंध समिति द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वच्छता या खराव सामग्री पाई जाने पर छात्रावास समिति की अनुशंसा पर निविदाकर्ता पर समुचित आर्थिक दण्ड रूपये 2000/– तक लगाया जा सकेगा।

23. रसोई गैस (वाणिज्यक/कमर्शियल) चुल्हाभटटी आदि की व्यवस्था एवं उनसे संबंधित सुरक्षा निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। (लकड़ी,चूल्हा एवं हीटर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा) भोजन निर्माण से लेकर छात्राओं को भोजन परोसने की समस्त व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।

24. छात्राओं अथवा छात्रावास समिति से भोजन से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्ति की दशा में उसका तत्काल समाधान करना होगा अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जायेगा। शिकायत दर्ज करने हेतु मेस में एक शिकायत एवं सुझाव रजिस्टर रखना होगा।
25. निविदाकर्ता को विभाग/संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा अधिवासी छात्राओं से भुगतान की राशि प्राप्त करने की जवाबदारी होगी।
26. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध जारी रखने में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो कम से कम एक माह पूर्व संस्था को सूचित करना आवश्यक होगा अन्यथा संपूर्ण धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
27. भोजन व्यवस्था हेतु संस्था की छात्रावास समिति के निर्देशों का पालन निविदाकर्ता को बंधनकारी होगा।
28. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन संलग्न मीनू के अनुसार संपूर्ण दिवस की चाय दोपहर का भोजन, स्वल्पाहार, रात्रि का भोजन सम्मिलित कर एकजाई दर प्रति माह प्रति – छात्रा के हिसाब से **केवल ई–वित्तीय निविदा की एक्सल शीट में अंकित करना है** ।
29. छात्रावास समिति के सदस्यों द्वारा भोजन निरीक्षण के दौरान अथवा छात्रा से यदि मेस में कार्यरत किसी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को तत्काल मैस से हटाना होगा अन्यथा निविदाकर्ता का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
30. छात्राओं की मैस में भोजन एवं अन्य व्यवस्था में 100 प्रतिशत महिला कर्मचारी होना आवश्यक है। सभी मेस कर्मी यूनिफार्म में रहेगें। सभी मेस कर्मी सभ्य एवं साफ सुथरे होना चाहिए। कार्य करने वाले कर्मियो का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र. तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना होगा। तथा इनके यूनिफार्म की व्यवस्था निविदाकार द्वारा ही की जावेगी। यूनिफार्म पर नाम की पट्टी का लगाना अनिवार्य होगा।
31. छात्रावास मे छात्राओं को भोजन के लिए समय निर्धारित किया गया है और यदि कोई छात्रा–छात्राये विशेष परिस्थिति मे भोजन प्राप्त करने से रह जाती है और वह भोजन मागने आते है तो उसे भोजन प्रदाय करता द्वारा भोजन प्रदाय करना अनिवार्य होगा इसके लिये छात्राओं को पूर्व मे सूचना देना आवश्यक होगा।
32. संस्था की छात्रावास समिति माह के प्रथम सोमवार को भोजन व्यवस्था पर समीक्षा करेगी तथा औचक निरीक्षण भी कर सकती है जिसमे आवश्यकता अनुसार सुझाव एवं सुधार के निर्देश निविदाकर्ता/उसके प्रतिनिधि को पंजी पर दर्ज करवाये जावेगे। तथा दिये गये निर्देशो का पालन न किये जाने की स्थिति मे दंडनात्मक कार्यवाही (अर्थदण्ड) की जावेगी।
33. भोजन की गुणवत्ता/स्वाद/मीनू अनुसार भोजन प्रदाय न करना/वासी भोजन का उपयोग करना या अन्य किसी कारण से यदि संस्था से कोई चेतावनी पत्र जारी होता है। तो वह अंतिम होगा जिसके निराकरण की सीमा 3 दिवस होगी। व्यवस्था होने या कुछ दिन उपरान्त पुनः वही स्थिति निर्मित होने पर बगैर सूचना के अनुबंध निरस्त किया जावेगा, तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि तथा चालू माह का बकाया देयक राजसात कर लिया जावेगा, साथ ही निविदाकर्ता फर्म का नाम काली सूची में अंकित कर भविष्य मे निविदा मे भाग लेने से वंचित किया जावेगा।
34. लंच एवं डिनर के पश्चात् किचिन एवं डायनिंग हाल के फर्श एवं फर्निचर की सफाई नियतिम रूप से प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करनी होगी। अस्वच्छता पाये जाने की स्थिति मे 1000 रू. प्रतिकार्य दिवस के रूप में अर्थदण्ड वसूला जा सकेगा।
35. डिफाल्टर फर्म (ताप्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध अवधि के पूर्व समाप्त किया गया हो) आगामी निविदा प्रक्रिया मे भाग नहीं ले सकेगी।
36. भोजन का देयक छात्राओं की छात्रावास मे वास्तविक उपस्थिति के आधार पर छात्राओं द्वारा ही देय होगा। जिसमें कोई छात्रा 07 या उससे अधिक दिवस तक मेस सेवाऐं प्राप्त नहीं करती

है तो उस छात्रा को देयक में 25 प्रतिशत राशि की छूट निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रदान करनी होगी ।

37. भोजन तैयार करने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।
38. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल म॰प्र॰ होगा।
39. निविदाकार को केवल लाइट कूलर पंखे ग्राइन्डर चलाने हेतु बिजली प्रदाय की जावेगी जिसका शुल्क सब मीटर की रीडिगं के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। तथा उसका भुगतान सेबा प्रदाता फर्म द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा ।
40. खाना तैयार करने वाले वर्कर साफ सुथरी ड्रेस मे तथा शुद्धता का विशेष ध्यान रखने वाले होने चाहिए।
41. नास्ता एवं भोजन समिति द्वारा निर्धारित समय तक ही चालू रखने की अनुमति दी जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

सामग्री की गुणवत्ता
मैस सैम्पल मीनू प्रपत्र 01

फूड आयटम सामग्री निम्न ब्राण्ड की ही उपयोग मे लाना होगा। उपयोग करने के पूर्व सामग्री का अवलोकन छात्रावास समिति को कराने के पश्चात् उपयोग में लावें।

1	आटा (पेकेट)	उच्च गुणवत्तापूर्ण (लोकमन / शरबती)
2	चावल	कम्पनी ब्रांडेड (दुवराज) सप्ताह में एक दिन बासमति चावल
3	खाद्य तेल	कम्पनी ब्रांडेड (सोयाबीन तेल)
4	नमक	टाटा / अन्नपूर्णा / भास्कर
5	चाय / कॉफी	कम्पनी ब्रांडेड
6	दालें	डवल त्रिशुल तीन इक्का (तुअर दाल)
7	मसाला	एगमार्ग मसाले
8	अचार	निलोन्स / किसान
9	पनीर	ताजा
10	दूध	ताजा
11	सब्जी	ताजी
12	फल फ्रूट	ताजे

मैस सैम्पल मीनू प्रपत्र 02

दिन	ब्रेकफास्ट	लंच	स्नेकस	डिनर
सोमवार	चाय +आलू प्याज पराठा	आलू गोबी ड्राय /आलू मेथी सब्जी/मूंगदाल के साथ पालक/ चावल, रोटी, सलाद और दही	चाय / काफी समोसा हरी चटनी	काला साबुत मसूर दाल/काली उड़द दाल, चावल, रोटी,
मंगलवार	चाय+ फ्राइड इडली	राजमा/कड़ी के साथ पकोड़ी बेगन का भरता, चावल, रोटी,	चाय+ वेज सेनडविच	सुखी मेथी आलू सब्जी/ तूअर दाल रोटी, चावल, सलाद,
बुधवार	चाय+मेथी/मूली पराठा (सेंडविच विथ बटर एन्ड जैम)	छोले, सब्जी/आलू केप्सीकम सब्जी, रोटी, चावल, भिडी विद ग्रेबी	चाय +डोकला विथ इमली चटनी	मटर पनीर/पनीर भुरजी चावल, रोटी, चना दाल/मसूर दाल और सलाद
गुरूवार	चाय+सेवइयां (चीज सेंडविच)	भिडी विद ग्रेबी गाजर आलू/ सूखी सब्जी, चावल, सलाद और पैकेट दही	चाय+चाउमिन विथ सास	साबूत मूंग मसूर दाल, आलू मटर की सूखी सब्जी/भिंडी सूखी सब्जी (विथ आउट आलू) चावल, रोटी, और हलवा
शुक्रवार	चाय+ गोभी पराठा	राजमा पालक, आलू/अरबी आलू सब्जी, रोटी, चावल, सलाद,	चाय+आलू बडा /जलेबी	कडाई पनीर रोटी, चावल,/वेज राइस /वेज बिरयानी, रोटी, वेज, रायता
शनिवार	चाय+ वडा सांभर (सेंडविच विथ बटर एन्ड जैम)	आलू मटर सूखी सब्जी, सोयाबीन ग्रेवी, रोटी, चावल,, और सलाद, मसाला डोसा, सांभर, चावल, चटनी,	चाय+प्याज पकोडा विथ चटनी	मिक्सड दाल, मिक्सड वेज(केसपीकम, गोभी, मटर, गाजर, आलू), चावल, रोटी,, पापड़
रविवार	चाय+ पोहा/उत्तपम+सांभर	छोले भटूरे, चावल, हरी चटनी और इमली चटनी, गुलाब जामुन आलू मसाला, चावल, रोटी, सलाद	चाय+पासता + सास	मंचूरियन ,पुलाव और आइस्क्रीम

28-2-2020

28/02/2020

Rita 28/02/2020

Deepika 28/02/2020

YAMINI YADAV

(NANDANA HANSWAL)

IBTSAM TABI

NIVAVARI RAI

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(मेस संचालन हेतु तकनीकी ई–निविदा का प्रपत्र)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम————————————————————————

2. फर्म के मालिक का नाम———————————— पिता का नाम——————

3 वर्तमान निवास का पता——————————————————————————

————————————————————————————————

4 दूरभाष / मोबाईल नम्बर———————————————————————

5 GSTIN NO.——————————————————————————

6 जीवित गुमास्ता नं...दिनांक ....

7. पैन कार्ड न...

8 ई.एम.डी. राशि अंको में.................................शब्दो में————————डी.डी.क्र ....

दिनांक....................बैक का नाम...

ई.एम.डी.राशि के बैक ड्राफट की छायाप्रति तकनीक निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

9. निविदाकर्ता संस्था का बार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी की प्रति तकनीक निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

10.**खाद्य एवं औषधि प्रशासन म0प्र0** फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदिाकर्ता फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम——————————

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(मेस संचालन हेतु वित्तीय ई–निविदा का प्रपत्र) भाग –02

मैस सैम्पल मीनू प्रपत्र 01 एवं 02 की सामग्री अनुसार नास्ता ,लंच,स्नैक्स,डिनर सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह प्रति छात्रा से प्राप्त की जाने वाली राशि अको में.....................................शब्दों में.................................

उक्त प्रपत्र प्रारुप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार छूट राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन mptender.gov.in की एक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by DR PANKAJ GUPTA
Date: 2020.03.05 17:55:50 IST
Location: Madhya Pradesh-MP